कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांकः न–3/एफ0एस0/ऑनलाईन/14/2019 दिनांक मई 18, 2019

स्वामी/प्रबन्धक
मै0 जेनेसिस इण्टरनेशनल स्कूल,
अफजलगढ़ रोड जसपुर,
ऊधम सिंह नगर।

विषय :– प्रथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–87020781, दिनांक 03–05–2019 के अनुसार मै0 जेनेसिस इण्टरनेशनल स्कूल, अफजलगढ़ रोड जसपुर, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र जसपुर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र जसपुर की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा रिफलिंग कराकर निर्धारित टैस्टिंग फीस राजकोष में जमा करा दी गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः मै0 जेनेसिस इण्टरनेशनल स्कूल, अफजलगढ़ रोड जसपुर, उधम सिंह नगर के अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16 मई 2019 से 15 मई 2020 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय :–

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।
6 अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण केवल ऑनलाईन माध्यम से किया जाय। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किया गया अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

एन0 एस0 कुंवर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर